

कार्यालय जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना

(बी० भी० सी० पटना-14)

Phone No- 0612-2225306/2221037

Fax No- 0612-2225306

Email-ID- dahopat@gmail.com

पत्रांक..... /

प्रेषक,

जिला पशुपालन पदाधिकारी
पटना।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग बिहार,
पटना।

पटना 14, दिनांक..... /

विषय :- वर्ष 2021-22 हेतु फोजेन सिमेंट बैंक सह बुल स्टेशन पटना में रखे गये पशुओं को खिलाने हेतु पशु चारा के लिए दर अनुमोदन के लिए निविदा आमंत्रण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के आलोक में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु विभागीय संस्थान फोजेन सिमेंट बैंक सह बुल स्टेशन पटना में रखे गये पशुओं को खिलाने हेतु पशु चारा के रूप में गेहूँ भूसा, नेवारी कुट्टी, गेहूँ चोकर एवं मौसमी हरा चारा का दर निर्धारण के लिए निविदा का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों में करने हेतु निविदा का प्रारूप छः प्रति में एवं सी०डी० एक प्रति में इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि स्थानीय समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन कराने का कृपा की जाय।

अनु०- सी०डी० - 1 प्रति

निविदा का प्रारूप -6 प्रति

विश्वासभाजन,

ह०/-

जिला पशुपालन पदाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक..... / दिनांक..... /

प्रतिलिपि :- अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी, पटना सदर/पटना सिटी/क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन केन्द्रीय क्षेत्र, पटना/परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए० पटना/विशेष उप निदेशक (प०वि०) फोजेन सिमेंट बैंक सह बुल स्टेशन पटना/विशेष उपनिदेशक (पशु विकास) वृहत पशु विकास परियोजना मुख्यालय स्तर पटना/ निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करते हुए कहना है कि संलग्न निविदा को अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर लगवाने की कृपा की जाय।

ह०/-


जिला पशुपालन पदाधिकारी,
पटना।


कृ०पृ०उ०


ज्ञापांक...../दिनांक...../
प्रतिलिपि :- निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ह0/-
जिला पशुपालन पदाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक.....1164...../दिनांक.....9/6/21...../
प्रतिलिपि :- आई-टी मैनेजर, कम्प्यूटर शाखा, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि इस पत्र के साथ संलग्न निविदा प्रारूप को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित किया जाय।


9/6/21


जिला पशुपालन पदाधिकारी,
पटना।




20